कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा (राज.)

क्रमांकः—प—6—क ( ) भील / अप / 20 / स्पेशल—05 दिनांकः—24.09.2020

महानिरीक्षक पुलिस,

अजमेर रेंज, अजमेर।

विषयः—परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार चीफ एडिटर नि0 जयपुर के सम्बन्ध में।

प्रसंगः—सीएम हैल्प लाईन की आईडी न0 **09200678618084** के संदर्भ मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि श्री ज्ञानेश कुमार चीफ एडिटर नि0 जयपुर के सम्बन्ध में अंकित तथ्यों की तथ्यात्मक रिपोर्ट वृताधिकारी वृत माण्डल जिला भीलवाडा से प्राप्त की गई।

प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 11.08.2020 को श्री मुकुल जाटव ने सूचना दी कि मेरे पिताजी अनिल कुमार जाटव ने फांसी खाली है आदि सूचना पर ग्राम आरजिया में किराये के मकान पर पहुंच कर देखा लाश पर्स पर लेटी हुई है। मृतक का पुत्र प्रार्थी श्री मुकुल जाटव ने एक रिपोर्ट मौके पर इस आश्य कि पेश कि कि '' मेरे पिता अनिल कुमार पिता कोमल प्रसाद जाटव व मेरा छोटा भाई रजत व यश कुमार तीनो आरजिया में किराये के मकान में रहते है आज सुबह आठ बजे मुझे सुरेश सुथार ने फोन कर बताया कि रजत का फोन आया तेरे पापा ने फांसी लगा ली है मै आरजिया आया देखा मेरे पापा की लाश जमीन पर लेटी हुई है किस प्रकार डेथ हुई है जांच करावे।आदी रिपोर्ट पर मर्ग नम्बर 26 / 2020 धारा 174 सीआरपीसी में दर्ज कर जांच शुरू की गई। दौराने जांच निरीक्षण लाश मृतक श्री अनिल कुमार जाटव का किया जाकर फर्द सुरते हाल लाश मुर्तिब की गई। फांसी का फन्दा लगाया जिस साडी के टुकडे को जरिये फर्द जप्त किया गया, मृतक के पुत्र रजत जाटव द्वारा असल सोसाईड नोट को फाड कर फैंक दिया था जिस पर रजत जाटव की निशादेही से गांव के पास बनी नाली मे कीचड से बरामद किया गया सोसाईड नोट के टूकडे कुल 24 टुकडे बरामद किये जिन्हे जरिये फर्द बरामद किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मृतक की लाश का निरीक्षण किया जाकर फर्द पंचायतनामा मुर्तिब की गई तथा लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाकर बाद पोस्टमार्टम के लाश को प्रार्थी श्री मुकुल जाटव को सिपूर्द की गई तथा बयान मृतक के पुत्र प्रार्थी श्री मुकुल जाटव, रजत जाटव, यश कुमार जाटव, पुत्रवधु श्रीमती चान्दनी जाटव के लिए गये मृतक के मोबाईल से विडियो और सोसाईड नोट को पेन ड्राईव मे लिया गया तथा मृतक के पुत्र रजत जाटव द्वारा असल सोसाईड नोट को फाड कर फैंक दिया था जिस पर रजत जाटव की निशादेही से गांव के पास बनी नाली मे कीचड से बरामद किया गया सोसाईड नोट के टूकडे कुल 24 टुकडे बरामद किये जिन्हे जरिये फर्द जप्ती मुर्तिब कर 24 टुकडो को सुखाकर एक पोलिथीन की पारदर्शी थैली मे रख कर शामिल पत्रावली किया गया। तथा घ टनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटनस्थल के पडौसी श्री विक्रम सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह, कमल सिंह दरोगा, कमल सिंह पंवार, मोहम्मद हुसैन मन्सूरी के बयान लिए गये। तथा श्री रोहित

हाडा और सत्यनारायण से पूछताछ की गई। तथा सुशील यार्न प्रा0लि0 आरजिया से मृतक अनिल कुमार का नौकरी करने का रेकार्ड प्राप्त किया गया। मृतक ने अपने द्वारा बनाया गया बिडियो और सोसाईड नोट में बताया कि मैं मकान मालिक और दोनो फैक्ट्री मालिक से परेशान होकर मर रहा हूं इस पर इन तथ्यो पर जांच की गई।

1— मकान मालिक ने मृतक से एक वर्ष का किराया भी अभी तक नही मांगा है तथा मृतक के दोनो बच्चे अधिकतर मकान मालिक के यही पर खाना खाते थे सोसाईड नोट मे मकान मालिक पर जो आरोप लगाया कि परेशान करता था वो तथ्य जांच से सामने नही आये।

2— दोनो फैक्ट्री मालिको के ,द्वारा परेशान करने की बात बताई है जिसमें से सुशील यार्न प्रा0लि0 आरजिया से रेकार्ड प्राप्त किया गया तथा बयान प्रबन्धक के लिए गये। जिससे सामने आया कि मृतक ने दिनांक 01.07.2019 को उक्त फैक्ट्री को जोईन किया था तथा दिनांक 14.12.2019 तक काम किया था जिसके बाद डूयटी पर नही गया। इस दौरान जितने दिन काम किया उसका अकाउन्ट पेमेन्ट हुआ है। कोई पेमेन्ट बकाया नही होना पाया गया। तथा किसी प्रकार से परेशान नही करना पाया गया तथा इस फैक्ट्री को छोडने के बाद दुबारा काम पर नही जाना पाया गया।

3— फैक्ट्री सनग्लो रायला से रेकार्ड प्राप्त कर जांच किया जाना शेष हो मर्ग में जांच जारी है।

अतः रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

जिला पुलिस अधीक्षक,

भीलवाडा।